



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-743

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 325770 दिनांक 18/08/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Kamlesh Rastogi W/o SURESH RASTOGI	अमर सिंह वर्मा पुत्र स्व. शादी लाल वर्मा	62	216.66 SQ. YARD	Cooperative	ANAND VIHAR Sector/Block-D	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	दी रेल्वेमेन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना आनन्द विहार के भूखण्ड संख्या डी-62 क्षेत्रफल 216.66 वर्ग गज की लीजडीड दिनांक 08.06.1994 को अमर सिंह वर्मा पुत्र स्व. शादी लाल वर्मा के नाम से जारी किया गया था। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का जरिये रजिस्टर्ड मुख्त्यारनामा आम दिनांक 07.03.1994 को अमर सिंह वर्मा पुत्र स्व. शादी लाल वर्मा द्वारा सुरेश चन्द रस्तोगी पुत्र स्व. बीआर रस्तोगी को कर दिया गया। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

विक्रय पत्र दिनांक
22.03.1994 को
सुरेश चन्द
रस्तोगी पुत्र स्व.
बीआर रस्तोगी
द्वारा श्रीमती
कमलेश रस्तोगी
पत्नी सुरेश चन्द
रस्तोगी को कर
दिया गया।
आवेदिका द्वारा
लीजहोल्ड से
फ्रीहोल्ड हेतु
आवेदन किया
गया है। अतः
पत्रावली
अवलोकनार्थ एवं
आदेशार्थ प्रस्तुत
है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Kamlesh Rastogi W/o SURESH RASTOGI को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |